बिहार सरकार
मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक : मु.जाँ.आ.नि.(प्रशि.) : 05/2026 : 563 अ३। दिनांक : 20-03-2026

प्रेषक,
प्रभात कुमार
संयुक्त सचिव

सेवा में,
निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय में प्रशिक्षण पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन से संबंधित प्रेस–विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय में प्रशिक्षण पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन से संबंधित प्रेस–विज्ञप्ति राज्य स्तर पर सर्वाधिक प्रसार वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी के 2–2 समाचार पत्रों में दिनांक 21.03.2026 के संस्करण में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त प्रेस–विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक– (1) प्रेस विज्ञप्ति,
(2) आवेदन प्रपत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,
ह०/- 20.3.26
(प्रभात कुमार)
संयुक्त सचिव

D: Word File \ File No. 05-2026_(PRASHIKSHAN)

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

–:: प्रेस–विज्ञप्ति ::–

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2162, दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रांक 9000, दिनांक 21.05.2025 द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथासंशोधित) एवं अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के वेतन स्तर–09 से 13 तक के सेवानिवृत्त पदाधिकारी का प्रशिक्षण पदाधिकारी के रूप में संविदा नियोजन के आधार पर पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। इनका दायित्व बिपार्ड (बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान) के सहयोग से विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में सम्मिलित संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी तथा जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का होगा।

2. उक्त संविदा नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10000, दिनांक 10.07.2015, विभागीय परिपत्र संख्या 11899, दिनांक 06.10.2021 एवं उस क्रम में अद्यतन परिचारित परिपत्र संख्या 20947, दिनांक 25.11.2022, विभागीय परिपत्र संख्या 1012, दिनांक 27.01.2022 एवं परिपत्र संख्या 9000, दिनांक 21.05.2025 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।

3. अतः निम्नलिखित विवरणी के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जिसमें प्रशिक्षण पदाधिकारी की नियोजन हेतु आवश्यक शर्ते, योग्यता एवं अर्हता निम्नवत होगी :– :–

(क)	पद का नाम	:	प्रशिक्षण पदाधिकारी (अनुशासनिक कार्रवाई)
(ख)	रिक्तियों की संख्या	:	03 (तीन)
(ग)	रोस्टर अनुसार पदों का निर्धारण	:	गैर आरक्षित पद – 02 आरक्षित पद – 01 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) **नोट** : यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एक पद एवं गैर आरक्षित वर्ग को दो पद प्राप्त हो रहा है। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।
(घ)	आवश्यक योग्यता	:	1. उक्त पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के वेतन स्तर–09 से 13 तक के सेवानिवृत्त पदाधिकारी ही चयनित होंगें। 2. चयनित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली 2005 एवं बिहार आचार नियमावली, 1976 की पूर्ण जानकारी होने के साथ ही अपने सेवाकाल में पदीय दायित्वों के निर्वहन के साथ उक्त नियमावली पर काम का अनुभव होना चाहिए।
(ङ)	आयु सीमा	:	कार्यावधि 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो तक की होगी। परन्तु सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अवधि पूरी होने के पहले भी इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त इच्छुक उम्मीदवारों के चयन संबंधी शर्तो निम्नवत् हैः–

(i) चयनित अभ्यर्थी योगदान के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी संलग्न करेंगे कि वे योगदान की तिथि को किसी अन्य कार्यालय में संविदा नियोजित नहीं हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(ii) इनकी कार्यावधि 05 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो पहले हो, तक होगी।

(iii) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिये सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामले में सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 05 वर्ष में कोई लघु दण्ड एवं पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती पर कोई दण्ड नहीं दिया गया हो। इससे संबंधित शपथ–पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

(v) आवेदक के आवेदन के साथ असैनिक शल्य–चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ऐसा प्रमाण–पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से अधिक–से–अधित 03 माह पूर्व का हो।

(vi) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में देना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

(vii) आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2026 तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नियोजन प्राधिकार को होगा। मात्र आवेदन के आधार पर आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5. इच्छुक उम्मीदवार अपने अनुभव प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति और पासपोर्ट साईज फोटो के साथ अपना आवेदन दिनांक 06.04.2026 तक मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में जमा करें।

6. विस्तृत विज्ञापन (आवेदन प्रपत्र के साथ) सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.html पर भी उपलब्ध है।

नोट :

- सरकार को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को रद्द करने का अधिकार है।
- केवल शॉर्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा।

20.3.26

(प्रभात कुमार)
संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रशिक्षण पदाधिकारी के पद पर संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदक का नाम	:	
2.	आवेदक के पिता/पति का नाम	:	
3.	स्थायी पता (पिन कोड सहित)	:	
4.	वर्त्तमान पता (पिन कोड सहित)	:	
5.	आवेदन की जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि	:	
6.	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को उम्र	:	वर्ष– माह– दिन–
7.	शैक्षणिक योग्यता	:	
8.	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र/ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:	
9.	विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	:	
10.	सेवानिवृत्त के समय पदनाम	:	
11.	आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता की राशि	:	
12.	सेवानिवृत्ति के समय पेंशन एवं महँगाई भत्ता की राशि (पी०पी०ओ० की छायाप्रति संलग्न करें)	:	
13.	अद्यतन चिकित्सा प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत)	:	
14.	जिल पद के आवेदक है, उस पद पर संविदा नियोजन (यदि हो तो) सहित विगत कार्यानुभव	:	
15.	मोबाईल संख्या (व्हाट्सऐप सहित)	:	
16.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित न हो (यदि हो तो विवरण)	:	
17.	सेवाकाल में/सेवानिवृत्ति के पश्चात दण्ड की स्थिति	:	
	(i) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)	:	
	(ii) सेवाकाल के अंतिम 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)	:	
	(iii) पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)	:	
18.	कार्य का अनुभव (साक्ष्य सहित)	:	

आवेदक का अद्यतन स्व–अभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

(आवेदक का हस्ताक्षर)

D: Word File \ File No. 05-2026_(PRASHIKSHAN)

Scanned with OKEN Scanner